कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सं0:–4डी(2)/फार्मे0/2002/2016/ लखनऊः दिनांक 19/11/2016

–: कार्यालय ज्ञाप :–

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–20558/2009–उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 एवं अवमाननावाद सं0–347/2010–हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.12, 15.04.2013, 29.04.2013 तथा अवमाननावाद सं0–115/2014 में पारित आदेश दि0 23.09.2014 के अनुपालन में फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 12.11.2007 के सापेक्ष वर्ष 2001 एवं 2002 के फार्मेसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की मेरिटवार सूची संलग्न है। उक्त काउन्सिलिंग फार्मासिस्ट के रिक्त 468 पदों के सापेक्ष प्रस्तावित है। पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

उक्त सूची के अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग निम्नांकित विवरण के अनुसार वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ स्थित सभागार में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक की जायेगी :–

क्रमांक संख्या	काउन्सिलिंग का दिनांक
क्रमांक – 01 से 290 तक 2002 वर्ष	दिनांक 26.11.2016
क्रमांक – 291 से 462 तक 2002 वर्ष	दिनांक 27.11.2016
दिनांक 05.08.2016 से 07.08.2016 को अनुपस्थित 119 अभ्यर्थी (2001 के 29 व 2002 के 90)	दिनांक 27.11.2016

संलग्न सूची में इंगित अभ्यर्थी अपने शैक्षिक अभिलेखों, निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि चयन से संबंधित समस्त अभिलेखों की दो स्वप्रमाणित छाया प्रतियॉ एवं दो स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, उ0प्र0 फार्मेसी काउन्सिल का अधुनान्त रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण प्रमाण–पत्र (ग्रीन बुक) के साथ समस्त मूल अभिलेखों सहित निर्धारित स्थल एवं समय पर काउन्सिलिंग में उपस्थित हों। काउन्सिलिंग में जो अभ्यर्थी चयन सूची में अंकित औपचारिकताएं/अर्हताएं पूर्ण कर रहे होंगे, उनका चयन मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार किया जायेगा। काउन्सिलिंग में उपस्थित न होनेवाले तथा अर्हताएं पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

संलग्नक : यथोपरि

(जी0 के0 कुरील)
निदेशक(पैरामेडिकल)

सं0:–4डी(2)/फार्मे0/2002/2016/9378-80 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–7
2. निदेशक (टेक्नीकल), एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस पत्र एवं संलग्न सूची (सी0डी0 सहित) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वीरांगना, अवंतीबाई चिकित्सालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 26.11.2016, व 27.11.2016 को सभागार में बिजली एवं पानी की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जी0 के0 कुरील)
निदेशक(पैरामेडिकल)